14

कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

झारखण्ड सरकार

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन/फैक्स नं०-6432 - 232397, मो०-9431137795, ई-मेल : dfo.deoghar2@gmail.com

पत्रांक 01–02–व0भू0 / 02(22)–15 / 2015 ..... देवघर, दिनांक.....

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

सेवा में,

श्री बिमान बोरा,
उप महाप्रबंधक,
जे0सी0पी0, धनबाद,
बी / 8 सूर्यदेव नगर (हर्ष बिहार कॉलोनी),
सरायढेला, धनबाद–828127 (झारखण्ड)।

विषय : देवघर जिला में 220 के0भी0 डी / सी गोविन्दपुर–दुमका ट्रान्समीशन लाइन हेतु 2.7069 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव।

प्रसंग : आपका पत्रांक ई आर–1 / जे0सी0पी0 / धनबाद / फोरेस्ट / जी0डी0टी0एल0 / 503 दिनांक 21.05.2016

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि देवघर जिला में 220 के0भी0 डी / सी गोविन्दपुर–दुमका ट्रान्समीशन लाइन हेतु 2.7069 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिसमें निम्न त्रुटियाँ / कमियाँ पायी गयी है :–

1. देवघर जिला के परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़नेवाले सभी ग्रामों के केडस्ट्रल मैप (पैमाना 16"=1 मील) पर प्रस्तावित ट्रान्समीशन लाइन को दिखाते हुए समर्पित किया जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त और कहीं वनभूमि छूटा तो नहीं है।

2. देवघर जिला के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में पड़नेवाले सभी ग्रामों का भूमि विवरणी यथा रैयती / गैरमजरूआ / वनभूमि आदि अलग–अलग अंकित नहीं है, समर्पित किया जाय तथा Legal Status हेतु खतियान की अभिप्रमाणित प्रति या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किस्म भूमि का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय।

3. परियोजना में पड़नेवाले सभी ग्रामों के प्रस्तावित सभी खेसरों (Plot No.) का खतियान के अनुसार "भूमि का किस्म" अंकित किया जाय तथा Legal Status हेतु खतियान की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाय।

4. प्रस्ताव में अपयोजित होनेवाले भूमि के पूर्ण आँकड़े स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय यथा वनभूमि (गैर मजरूआ–जंगल झाड़ी/अनाबाद/रैयती या कोई अन्य) के संबंध में अलग–अलग ब्यौरा स्पष्टतः दिया जाय।

5. अपयोजन प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि किस तरह अपयोजित की जायेगी इसके अलग–अलग आँकड़े स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय यथा विद्युत टावर हेतु .... हे0, ट्रान्समीशन लाइन बिछाने हेतु .... हे0, कुल .... हे0।

6. समर्पित टोपोशीट मैप में दर्शायी गयी ट्रान्समीशन लाइन देवघर जिला के मौजा धुसी में प्रवेश करता है तथा पालोजोरी ग्राम के बाद दुमका जिला में प्रवेश करता है जो की पुनः देवघर जिला में बिराजपुर में प्रवेश करता है तथा खैरवा के बाद पुनः दुमका जिला में प्रवेश करता है इसे स्पष्ट किया जाय तथा AP54 से AP76 तक का Geo Reference Map समर्पित किया जाय।

7. देवघर जिला के अन्तर्गत जितने ग्रामों से ट्रान्समीशन लाइन गुजर रही है, सभी ग्रामों का संयुक्त स्थल निरीक्षण केडस्ट्रल मानचित्र पर दिखाये गये ट्रान्समीशन लाइन के आधार पर किया जाना आवश्यक है क्योंकि और भी वनभूमि/जंगल/झाड़ी जंगल होने की संभावना है। इसके लिए स्थल पर मार्किंग किया जाना आवश्यक है।

8. प्रस्ताव में समर्पित अभिलेख/सूचनाओं में कुछ पन्नों पर हस्ताक्षर एवं मुहर है, शेष छूटे हुए पन्नों पर हस्ताक्षर कर मुहर लगाया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सूचनाएँ/प्रतिवेदन/मानचित्र आदि शीघ्र समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

ज्ञापांक 01–02–व0भू0/02(22)–15/2015...1862... दिनांक...28/5/16

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/05/16

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर